

डिक्री व मुकदमें ईत्तादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी:- उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:- 388/2018

1. पालाराम पुत्र किरताराम जाति सुथार निवासी चक 4-5 आरडब्ल्यूबी मसीतांवाली तहसील टिब्बी।  
2. राकेश पुत्र किरताराम जाति सुथार निवासी चक 4-5 आरडब्ल्यूबी मसीतांवाली तहसील टिब्बी।  
3. सुधीर कुमार पुत्र किरताराम जाति सुथार निवासी चक 4-5 आरडब्ल्यूबी मसीतांवाली तहसील टिब्बी।  
-वादीगण

बनाम

1. किरताराम पुत्र मामराज जाति सुथार निवासी चक 4-5 आरडब्ल्यूबी मसीतांवाली तहसील टिब्बी।  
2. चान्दो पत्नी किरताराम जाति सुथार निवासी चक 4-5 आरडब्ल्यू बी मसीतांवाली तहसील टिब्बी।  
3. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।  
-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री विजय पाल पारीक वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री एच.एम. सारस्वत प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं० 1 किरताराम के नाम से चक नं० 5 आरडब्ल्यू बी के खाता सं० 13/10 में कुल 2.8125 है० कमाण्ड मय गै०मु० रास्ता, खाला आराजी निम्नानुसार प्राप्त हुई है:-

(क)-वादी सं० 1 पालाराम को बंटवारा में प्राप्त आराजी:-चक नं० 5 आरडब्ल्यू बी के प०न० 210/336 मु० 9 किला नं० 3/.228 कमाण्ड व .025 है० गै.मु.खाला, 4/.228 कमाण्ड व .025 है० गै०मु० खाला, 5/.202 कमाण्ड व .051 है० खाला, 6 में .036 है० कमाण्ड व .005 है० खाला गै०मु० उत्तरी दिशा का हिस्सा, 7 में .162 है० उत्तरी दिशा का हिस्सा, 8/1 में .0040 है० उत्तरी दिशा का हिस्सा कुल 0.860 है० कमाण्ड व .106 है० गै०मु० खाला।

(ख)-वादी सं० 2 राकेश को बंटवारा में प्राप्त आराजी:-चक नं० 5 आरडब्ल्यू बी के प०न० 210/336 मु० 9 किला नं० 7 में .091 है० दक्षिण दिशा का हिस्सा, 8/1 में .0035 है० दक्षिण दिशा का हिस्सा, 13/1/.007 है०, 14/.253, 17/.253, 18/1/.008, 23 /1 / .007, 24/.238 है० कमाण्ड व .015 है० रास्ता कुल .8605 है० कमाण्ड व .015 है० गै०मु० रास्ता।

(ग)-वादी सं० 3 सुधीर कुमार को बंटवारा में प्राप्त आराजी:-चक नं० 5 आरडब्ल्यू बी के प०न० 210/336 मु० 9 किला नं० 6 में .192 दक्षिण दिशा का हिस्सा व .020 है० गै०मु० खाला, 15/.228 है० कमाण्ड व .025 है० गै०मु० खाला, 16/.228 कमाण्ड व .025 है० गै०मु० खाला 25/.212 कमाण्ड व .026 है० गै०मु० खाला व .015 है० गै०मु० रास्ता कुल 0.860 है० कमाण्ड व .111 है० गै०मु० खाला रास्ता।

उपरोक्तानुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग से कायम कर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। चक नं० 5 आरडब्ल्यू बी के खाता सं० 13/10 में से प्रतिवादी सं० 1 किरताराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शूंद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 14.11.18 अदा करें।  
बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 14.11.18 को जारी किया गया।



( उम्मेद सिंह रतनू )  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी